रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25112023-250265
CG-DL-W-25112023-250265

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, नवम्बर 5—नवम्बर 11, 2023, शनिवार/ कार्तिक 14—कार्तिक 20, 1945
No. 43] NEW DELHI, NOVEMBER 5—NOVEMBER 11, 2023, SATURDAY/ KARTIKA 14—KARTIKA 20, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (चिकित्सा निदर्शक/कलाकार) भर्ती नियम,1991 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफ़दरजंग अस्पताल में चिकित्सा निदर्शक/कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, चिकित्सा निदर्शक/कलाकार (समूह 'ग' पद) सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली,भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण,और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या,उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति,आयु सीमा,अर्हताएं,आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,आयु सीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत,आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद याअचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा निदर्शक / कलाकार	02* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5(29200-92300 रुपये)।	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड और

					लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, सीधीभर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कॉमर्शियल आर्ट्स में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा। (iii) किसी शिक्षण संस्था में वरीयतः निदर्शन एवं मॉडलिंग में तीन वर्ष का कार्यानुभव। **टिप्पण-1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे,शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष जो संगत क्षेत्र में न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रशिक्षण के अधीन होगी।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है): 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रोंया स्वायत्त या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या	समूह-'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में पदों पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखते हों । **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि,जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुकृति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य। 4. उपनिदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल , नई दिल्ली - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/23/2021-एमएच-II]

विक्रमजीत चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st November, 2023

G.S.R. 157.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi (Medical Illustrator/Artist), Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Illustrator/Artist in the Safdarjung Hospital, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Medical Illustrator/Artist(Group 'C' Post) Safdarjung Hospital, New Delhi Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, The Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Illustrator/ Artist	02*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-5 in the pay matrix. (Rs. 29200-92300).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 25 years (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty–five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicoar Islands and Lakshadweep.	Essential (i) Class 12th class pass from the recognised Board. (ii) Diploma in Commercial Arts of at least two years duration from a recognised Institution. (iii) Three years' experience in illustration and modelling, preferably in a teaching Institution. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field.	By Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made,	If a Departmental confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): (I) Officers under the Central or State Government or Union territories or autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertaking or University or recognised Research Institution (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in Level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column no. 7. **Note :** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group–'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjung Hospital -Member. 3. Deputy Director Administration incharge of Medical Hospital Section in Directorate General of Health Service, -Member. 4. Deputy Director, (Administration), Safdarjung Hospital -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/23/2021-MH.II]

BIKRAMJIT CHOUDHURY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2018 को, जहां तक उनका संबंध पैथोलाजिकल प्रयोगशाला तकनीशियन के पद से है; और

(ii) मानसिक रोग चिकित्सालय, रांची (वर्ग III और वर्ग IV पद भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।